

अपील संख्या 2185/2015/बाडमेर

मैसर्स कैलाश बंकर्स,
बाडमेर

अपीलाथी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री पी.एम.चौपडा

अभिभाषक

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक: 08.06.2017

अपलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 06/आरवैट/बीएमआर/15-16 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,81,500/- एवं कर रु.84,700/- आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 01.09.2014 पारित किया है, आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए आरोपित कर का यदि देयकर पेटे समयोजन नहीं लिया गया है तो निमयानुसार लौटाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.08.2014 को कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान वाहन संख्या जीजे. 15X-2723 में लदे डी जी सेट राज्य के बाहर से आयातित करते हुए को चैक किया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल डी जी सेट से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र 47ए क्रमांक 40814330804 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि आयातित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत बिल, बिल्टी दिनांक 13.08.2014 में उल्लेखित आयातकर्ता से भिन्न नाम की अन्य पंजीकृत फर्म मैसर्स कैलाश ट्रेडर्स टिन नम्बर 08272457026 द्वारा जारी वैट 47ए प्रस्तुत किया। परिवहनित माल अधिसूचित माल होने से अधिनियम की धारा 72(2)(बी) के अनुसरण में फर्म का विधिक घोषणा पत्र संलग्न नहीं होने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर के साथ इलेक्ट्रोनिकली जारी घोषणा पत्र वैट-47ए संख्या ई47ए 160814333561 प्रस्तुत कर बताया गया कि पूर्व में पति के नाम से पंजीकृत फर्म मैसर्स कैलाश ट्रेडर्स का गलत घोषणा पत्र जारी कर माल के साथ भेजा गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचित माल डी जी सेट के आयात पर वक्त

लगातार.....2

परिवहन घोषणा पत्र वैट-47 नहीं होने से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्री बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रकरण में प्रतिपादित मत के प्रकाश में अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से रू. 1,81,500/-की शास्ति व कर रू. 84,700/-कुल रू. 2,66,200/- आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 01.09.2014 पारित किया। उक्त आदेश असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2015 को पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखकर कर के सम्बन्ध में यदि व्यवहारी द्वारा देयकर कर के पेटे समयोजन नहीं लिया गया हो तो नियमानुसार लौटाने का निर्देश दिया। अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से शास्ति के बिन्दु पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल का क्रय मैसर्स कैलाश बंकर्स द्वारा दिया गया था परन्तु भूलवश हमारी दूसरी फर्म कैलाश ट्रेडर्स का वैट 47ए ई 47ए 40814330804 जारी दिनांक 14.08.2014 का परिवहनित उपलब्ध था। उनका कथन है कि जैसे ही उन्हें इस भूल की जानकारी मिली तुरन्त ही आनलाईन घोषणा पत्र 47 मैसर्स कैलाश बंकर्स का प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारी को जरिए दूरभाष पर अवगत करा दिया, किन्तु उस पर ध्यान दिये बिना ही आदेश दिनांक 01.09.2014 पारित कर एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। उनका कथन है कि प्रथम सुनवाई का मौका प्राप्त होते ही जवाब के साथ दो शपथ पत्र मय ऑनलाईन जारी घोषणा पत्र वैट-47ए ई47ए 160814333561 दिनांक 16.08.2014 को प्रस्तुत कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि उनकी ओर से कोई मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, किन्तु सदभाविक भूल से ऐसा हुआ है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 124 एस टी सी 611 मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में माननीय उच्चतम द्वारा पारित निर्णय को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त वाहन में लदा माल डी जी सेट सामान पाया गया है, जो अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी आता है, जिसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट-47 होना आज्ञापक है, जिसके अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि भूल वश यदि घोषणा पत्र वैट-47 पीछे रह जाता है और नोटिस के जवाब में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो स्वीकार योग्य है किन्तु हस्तगत प्रकरण में चेकिंग तिथि तक घोषणा पत्र वैट-47 अस्तित्व में नहीं था इसलिए हस्तगत प्रकरण में डी पी मेटल के प्रकरण में पारित निर्णय लागू न होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में पारित निर्णय लागू होता है और उसी के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया है, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विश्लेषण करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त जांच परिवहन अधिसूचित माल डी जी सेट होने के कारण उसके साथ घोषणा पत्र वैट-47 होना आज्ञापक था, जिसके न होने के कारण कर निर्धारण अधिकार द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रु. 1,81,500/-आरोपित की गई है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर नोटिस के जवाब में ऑनलाईन जारी घोषणा पत्र वैट-47 क्रमांक ई47ए 160814333561 दिनांक 16.08.2014 को किया गया प्रस्तुत किया है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि माल चेकिंग समय उक्त घोषणा पत्र वैट-47 अस्तित्व में नहीं था, इसलिए हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.पी.मेटल के प्रकरण में पारित निर्णय लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त प्रकरण में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी कारण वश या भूलवश जारी किया गया घोषणा पत्र वैट-47 छूट जाता है यह गलती से ट्रांसपोर्टर के पास रह जाता है अर्थात् माल रवाना करते समय घोषणा पत्र अस्तित्व में हो, तो नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया जाने पर शास्ति आरोपणीय नहीं है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में घोषणा पत्र वैट-47 क्रमांक ई47ए 160814333561 दिनांक 16.08.2014 को ऑनलाईन जनरेट किया गया यानी माल रवाना करते समय दिनांक 14.08.2018 को घोषणा पत्र अस्तित्व में नहीं था इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में प्रतिपादित मत के अनुसार शास्ति आकर्षित होती है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शास्ति आरोपित की है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा जिसकी पुष्टि भी की गई है, जो पूर्णतः उचित है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश विधिक होने से उसकी पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य